लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता, (हा0 / इंटी0 सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।	एस0जे0पी0 होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्रा0लि0, सी–2, महालक्ष्मी माल, 5वीं मंजिल, राजनगर, गाजियाबाद–201001

संख्या: P.No.222/EE/HTIG/2019
दिनांक 18/12/19

विषय:– मे0 एस0जे0पी0 होल्ट एण्ड रिसोट्स प्रा0लि0 द्वारा हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत व्यवसायिक–1 (आईबीबी–1), टावर–5, के व्यवसायिक भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत हाइटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत व्यवसायिक–1 (आईबीबी–1), टावर–5, के व्यवसायिक भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2019 के विषय संख्या–5 पर निम्न शुल्कों, अनापत्तियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. देय निरीक्षण शुल्क – रू0 6,26,280.00
2. मानचित्र शुल्क – रू0 9,42,100.00
3. मैकेनाईज्ड पार्किंग हेतु एफ.डी.आर. – रू0 38,75,000.00 की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत / जमा करना होगा।
4. लेबर सेस – पक्ष द्वारा भवन निर्माण की लागत सर्टिफाइड वैलुअर से करा कर कुल आगणित लागत का 1 प्रतिशत जमा करना होगा।
5. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति।
6. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति।

प्रतिबन्ध :

1. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास / निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण / अधिग्रहण / भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
3. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4. भूकम्परोधी प्रमाण पत्र, भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार ड्राइंग / डिजायन सक्षम स्तर से वेट कराकर प्रस्तुत करना होगा, तभी मानचित्र अवमुक्त किया जा सकेगा।
5. लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
6. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. लेवर एक्ट का अनुपालन करना होगा।
10. स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
12. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
13. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
14. प्रस्तावित भवन के ग्रीन बिल्डिंग होने संबंधी लीड / आई.जी.बी.जी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे की श्रेणी की रेटिंग संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार देय शुल्क एक माह के अन्दर जमा करने (अन्यथा ब्याज देय होगा), वांछित अनापत्ति एवं प्रतिबन्धों के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
(हा0 / इंटी0 सेल)

Scanned by CamScanner